

मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, अहमदाबाद क्षेत्र,
7वीं मंजिल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, आम्बावाडी, अहमदाबाद-380019

दूरभाष: (079) 26303612

ई-मेल: ccuahmedabad@gmail.com

फैक्स: (079) 26303607

स्थापना आदेश सं. - 63/2014

दिनांक: 29 अक्टूबर, 2014

विषय : DGCEI, क्षेत्रीय इकाई, अहमदाबाद में आसूचना अधिकारी (Intelligence Officer) की
रोटेशनल ट्रांसफर बेसिस पर नियुक्ति- 2014 के बारे में ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद क्षेत्र के निम्नलिखित अधीक्षक को नीचे उनके नाम के आगे
दर्शाये स्थल पर रोटेशनल ट्रांसफर के आधार पर तैनात किया जाता है। रोटेशनल ट्रांसफर के आधार पर
तैनाती प्रारंभिक रूप से दो वर्ष के लिए तुरंत प्रभाव से की जाती है।

क्र. संख्या	अधिकारी का नाम: (सर्व श्री) एवं आयुक्तालय	तोन बेसिस/डेप्युटेशन बेसिस पर	रोटेशनल किया गया क्षेत्र
	DGCEI, AZU, अहमदाबाद		
1	रज़नीकांत आई. पांडे, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-1	रोटेशनल ट्रांसफर के आधार पर	DGCEI, जेनरल इकाई, अहमदाबाद

02. रोटेशनल ट्रांसफर के आधार पर तैनात किये गये अधिकारी की नियुक्ति सुरक्षा निगरानी (vigilance clearance) के अधीन होगी ।

03. रोटेशनल ट्रांसफर के आधार पर तैनात किये गये अधिकारी मुख्य आयुक्त कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद क्षेत्र की कार्य क्षमता (working strength) में दर्शाये जायेंगे ! रोटेशनल ट्रांसफर के आधार पर तैनात किये गये अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-1 द्वारा आवंटित किये जायेंगे एवं वे किसी विशेष भत्ते (Special Allowance)/रहितनियुक्ति भत्ते (Deputation Allowance) के हकदार नहीं होंगे ।

04. यह आदेश मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्र, अहमदाबाद के अनुमोदन से जारी किया गया है.

(डॉ. मनोज कुमार रजक)

अपर आयुक्त (हु.आ.का.)

आ. सं. 11/13-05/CCO/2014

दिनांक: 28.10.2014

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, उडकोदा क्षेत्र ।
2. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद ।
3. अपर महानिदेशक (DGCEI), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय, जेनरल इकाई, अहमदाबाद को उनके पत्र क्र.सं. A-22014/3/2014/AZU, दिनांक: 20.10.2014 के संदर्भ में ।

4. प्रमुख, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I/ अहमदाबाद-II/ अहमदाबाद-III/ सेवा कर, अहमदाबाद/ वे.अ.शु. ऑडिट एवं ऑडिट-II/ राजकोट/ धारवाड/ कच्छ/ क.उ.शु. ऑडिट-III ।
5. उपर्युक्त सजा शुल्क, अहमदाबाद/जानमगर/कांडला/नुद्रा ।
6. सहायक संचालक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सजा शुल्क, एवं सहायक संचालक (आयुक्त) अहमदाबाद एवं अहमदाबाद/राजकोट ।
7. मुख्य लेखा अधिकारी/ प्रशासन अधिकारी (स्थापना), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I ।
8. प्रमुख एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सजा शुल्क एवं सेवा कर, अहमदाबाद-I ।
9. व्यक्ति विशेष।
10. कोई भी इतर ।
11. अधीक्षक (सिस्टम), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I (इस आदेश की प्रति वेबसाइट पर उपलब्ध करने के लिए अनुरोध किया जाता है) ।